न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 152 / 2022

उनवान

1. रामेश्वर लाल पुत्र गंगाराम माली नि0 हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. शंकरलाल पुत्र गंगाराम माली नि0 हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. राधेश्याम पुत्र गंगाराम माली नि0 हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. देवी लाल जाट पुत्र हजारी जाट नि0 टापरिया खेडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. भगवान सिंह पुत्र हरिसिंह राजपुत नि0 हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. गीता देवी पुत्री प्रभुदास वैरागी नि0 हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 12.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूँ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 16.12.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम हमीरगढ प.ह. हमीरगढ भू.अ.नि. हमीरगढ तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 1394 की आ.न. 3851 रकबा 2.1244है0, आ.न. 3851 / 1 रकबा 0.0253 है0, आ.न. 3852 रकबा 0.4805है0, आ.न. 3852 रकबा 0.4805 है0, कुल किता 03 रकबा 2.6302है0, भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 19.12.2022 को पंजीवद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 03 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित मे एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार / स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम हमीरगढ प.ह. हमीरगढ भू.अ.नि. हमीरगढ तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 1394 की आ.न. 3851 रकबा 2.1244है0, आ.न. 3851 / 1 रकबा 0.0253 है0, आ.न. 3852 रकबा 0.4805है0, आ.न. 3852 रकबा 0.4805 है0, कुल किता 03 रकबा 2. 6302है0, भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो मे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 1100 / — पक्षकार प्रार्थी राजकोष मे जमा कराये. साथ ही कमिश्नर फीस 500 / —रू0 की नियमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करे।

आदेश आज दिनाक 12.05.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ